



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 61887

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

10359 वर्ष 2025

विमलेश कुमार यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुरेंद्र सिंह, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 148 सन् 2012, धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना-चकिया, जनपद-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चंदौली में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि विचारण लंबित रहने के दौरान उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक उस वाहन का स्वामी बताया गया है जिसका उपयोग पशुधन के परिवहन के लिए किया जा रहा था और आवेदक अथवा सह-अभियुक्त के कब्जे से या उनकी निशानदेही पर कोई मांस अथवा शव बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का कहना है कि उसे आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की जानकारी नहीं थी और हाल ही में उसे कार्यवाही लंबित होने की जानकारी हुई, जिसके कारण उसने अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 16.10.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया और तत्पश्चात यह आवेदन दिनांक 04.12.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दिनांक 05.01.2013 को दाखिल किया गया था, जिस पर दिनांक 22.05.2013 को संज्ञान लिया गया। वर्ष 2013 से आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।
6. उक्त विषय पर प्रत्युत्तर देते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने दूसरा पूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसके साथ आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 22.05.2013 से दिनांक 22.12.2022 तक मामले का आदेश-पत्र तैयार नहीं किया गया। इसके बाद जिला न्यायाधीश के आदेश पर मामला संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, चकिया, जनपद चंदौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात आवेदक को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आज तक अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी किए जा रहे हैं और आज तक धारा 82 अथवा 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई वारंट अथवा उद्घोषणा जारी नहीं की गई है।
7. तत्पश्चात विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का सात मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें दो अन्य मामले गोवध अधिनियम के अंतर्गत हैं। इससे आवेदक की अपराध को दोहराने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त विषय पर प्रत्युत्तर देते हुए प्रस्तुत किया कि गोवध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज आपराधिक मामलों में आवेदक को झूठा फंसाया गया है, जो वर्तमान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में आवेदक को फंसाए जाने के बाद दर्ज किए गए हैं। वह पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है और उसके आपराधिक इतिहास का विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना है। अभिलेख के परिशीलन से यह संकेत मिलता है कि आवेदक पिकअप संख्या यूपी 63टी 2335 का स्वामी बताया गया है, जिसका उपयोग सात बछड़ों के परिवहन के लिए किया जा रहा था। यद्यपि आवेदक के विरुद्ध वर्ष 2013 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, तथापि आदेश-पत्र के परिशीलन से पता चलता है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2022 तक मामले का आदेश-पत्र संधारित नहीं किया गया और आवेदक को कोई समन जारी नहीं किया गया। आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रति के परिशीलन से यह भी पता चलता है कि अंतिम रूप से पारित दिनांक 17.02.2026 के आदेश तक भी आवेदक को समन की तामील के संबंध में कोई संतुष्टि अभिलिखित नहीं की गई है। सह-अभियुक्त अजय यादव, जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था, को संबंधित न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई थी, तथापि उक्त सह-अभियुक्त की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई।
10. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला वर्ष 2013 का है और लगभग नौ वर्षों की अवधि तक इस मामले का आदेश-पत्र संधारित नहीं किया गया, मैं संबंधित न्यायालय के समक्ष उसके विचारण के लंबित रहने तक आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित समझता हूँ।
11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
12. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **विमलेश कुमार यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए निजी बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

24 मार्च, 2026

कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”